रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-03072026-273978
CG-DL-W-03072026-273978

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 20] नई दिल्ली, जून 14—जून 20, 2026, शनिवार/ज्येष्ठ 24—ज्येष्ठ 30, 1948
No. 20] NEW DELHI, JUNE 14—JUNE 20, 2026, SATURDAY/JYAISHTHA 24—JYAISHTHA 30, 1948

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

मंत्रिमंडल सचिवालय

(राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार समझौता)

नई दिल्ली, 2 जून, 2026

सा.का.नि. 108.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार समझौता, मंत्रिमंडल सचिवालय (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2004 को, जहां तक उनका संबंध तकनीकी अधिकारी के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार समझौता, मंत्रिमंडल सचिवालय में तकनीकी अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थातः-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार समझौता, तकनीकी अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हताः** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्तिः** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्तिः** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
तकनीकी अधिकारी	*04 (2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47,600-1,51,100 रु.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या मान्यताप्राप्त विश्वविध्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों के अधिकारी,- **(क)** (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44,900-1,42,400 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर उसमें नियुक्ति के पश्चात दिए गए ग्रेड में दो वर्ष सेवा की हो; और **(ख)** जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव हों: **<u>आवश्यक:</u>** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रासायन विज्ञान या औद्योगिक रासायन विज्ञान में मास्टर डिग्री या रासायनिक प्रौद्योगिकी या रासायनिक इंजीनियरी में स्नातक डिग्री(बी.ई/बी.टेक) ; और (ii) कार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन उद्योग के क्षेत्र में लगे तकनीकी या अनुसंधान संगठन या औद्योगिक समुत्थान में तकनीकी पद पर दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 53 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	**(13)**
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं हैं।

[फा. सं. ए-12018/1/2017-एन ए]

इंद्रा मालो, अपर सचिव

CABINET SECRETARIAT

(National Authority Chemical Weapons Convention)

New Delhi, the 2nd June, 2026

G.S.R. 108.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Authority, Chemical Weapons Convention, Cabinet Secretariat (Group ‘A’ and ‘B’ Posts), Recruitment Rules, 2004, in so far as they related to the post of Technical Officer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Technical Officer in the National Authority Chemical Weapons Convention, Cabinet Secretariat, namely:-

1. **Short title and commencement**. - (1) These rules may be called the Cabinet Secretariat, National Authority Chemical Weapons Convention, Technical Officer (Group ‘B’ Post), Recruitment Rules, 2026.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and pay level in the pay matrix**. - The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc**.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications**. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. **Saving**. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Economically Weaker Section, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in that regard.

SCHEDULE

Name of the post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection or non-selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Technical Officer.	*04 (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of Probation, if any.**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation / absorption to be made.	**If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	**(12)**	**(13)**
Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territories Administrations or recognised Universities or public sector undertakings or recognised	Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

research institutions or autonomous bodies or statutory organisations,- **(a)** (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level – 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) or equivalent in the parent cadre or Department; and **(b)** possessing the following educational qualification and experience: **ESSENTIAL:** (i) Master's degree in Chemistry or Industrial Chemistry or Bachelors degree (B.E/B.Tech) in Chemical Technology or Chemical Engineering from a recognised University or institute; and (ii) two years' experience in a technical position in a technical or research organisation or industrial concern engaged in the field of organic chemicals and organic chemical industry. **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of the applications.		

[F. No. A-12018/1/2017-NA]

INDRA MALLO, Addl. Secy.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 11 जून, 2026

सा.का.नि. 109.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय बचत संगठन (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1978 को जहां तक उनका संबंध आशुलिपिक (वरिष्ठ) और आशुलिपिक (कनिष्ठ) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय बचत संस्थान, दिल्ली, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, में आशुलिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, राष्ट्रीय बचत संस्थान, आशुलिपिक (ग्रेड-1) (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2026 कहा जाएगा।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि.-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।